भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2867
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पश्चिम बंगाल को निर्देश

2867. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) , 2005 की धारा 27 के अनुसार सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को वर्ष 2021 से आज तक जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मनरेगा की धारा 27 के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के विरुद्ध सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) एवं **(ख):** महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में , केंद्रीय टीमों की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर , जिनमें वित्तीय गड़बड़ी , गैर-अनुमति प्राप्त गतिविधियों का कार्यान्वयन , कार्यों का विभाजन , पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी जैसे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे सामने आये थे , मंत्रालय ने इनमें सुधार के लिए राज्य को कई पत्र भेजे हैं। हालाँकि , कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण अधिनियम की धारा 27 के तहत 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को निधियां जारी करना रोक दिया गया है।